विचार बिन्दु

तर्क से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। मूर्ख लोग तर्क करते हैं, जबकि बुद्धिमान विचार करते हैं। –श्री परमहंस योगानंद

सांसदों व विधायकों पर खर्च की समीक्षा का समय

जिस देश के प्रधानमंत्री खुद मानते हों कि इस देश के 80 प्रतिशत लोग गरीब हैं, वहां के निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर सरकार राजकोष से कितना खर्च करती है यह जानकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। जहां गरीबों को सरकार की तरफ से राशन और वित्तीय सहायता देनी पड़ रही हों, वहां संसद और विधानसभाओं के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों पर होने वाला विराट खर्च आंखें फटी रख देने वाला है। देश में प्रति व्यक्ति आय और संसद तथा विधानसभाओं के सदस्यों की प्रतिव्यक्ति आय के बीच जो अंतर है वह संविधान में निहित समानता की बात की खिल्ली उड़ाता है। एक समाचार एजेंसी ने अपनी खबर में बताया है कि नये केन्द्रीय बजट में कुल 788 सदस्यों वाली संसद (543 लोकसभा सदस्य और 245 राज्य सभा सदस्य) पर खर्च करने के लिए 11 हजार 316 करोड़ रुपये रखे गये हैं। बजट में लोकसभा को 903 करोड़ रुपए और राज्यसभा को 413 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि देश की संसद पर ढाई लाख रुपये प्रति मिनट खर्च होते हैं। सांसदों पर होने वाले खर्च में राज्य की विधानसभाओं तथा उनके निर्वाचित सदस्यों पर होने वाला खर्च जोड़ दें तो वह अरबों रुपयों का बैठेगा। जिस देश की बड़ी आबादी दो जून रोटी की व्यवस्था करने में मुश्किलों का सामना करती हो, वहां उस आबादी के प्रतिनिधियों पर इतना खर्च किया जाना किसी को परेशान नहीं करता। जन प्रतिनिधि, जो कभी गरीब की सेवा के लिए राजनीति में सक्रिय होते थे, अब पेशेवर हो चले हैं और कॉर्पोरेट जगत के प्रमुखों जैसी सुविधाएं भोगने लगे हैं। उनको क्या मिलेगा इसका निर्धारण हम भारत के लोग नहीं करते। निर्वाचित प्रतिनिधि खुद ही अपने वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का समय-समय पर निर्धारण करते हैं। भारत के नागरिकों के लिए कानून बनाने वाले खुद अपने वेतन-भत्ते की राशि निर्धारित करते हैं और ऐसे विधेयकआनन-फानन में पास हो जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के मामले में, सरकार समय-समय पर स्वतंत्र वेतन आयोगों का गठन करती है ताकि उनके वेतन ढांचे की समीक्षा की जा सके और उसमें बदलाव की सिफारिश की जा सके। मगर सांसदों और विधायकों को मिलने वाले वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं की कभी समीक्षा नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित कुछ देशों को सांसदों के भुगतान को तय करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की व्यवस्था है ताकि हितों का टकराव पैदा न हो।

अधिकतर मतदाताओं को तो यह भी पता नहीं होगा कि वर्तमान में एक सांसद को एक लाख रुपया प्रति माह मूल वेतन मिलता है। जब संसद चल रही होती है या उसकी समितियों की बैठकें होती हैं तब भोजन और आश्रय के लिए उसे दो हजार रुपये प्रति दिन अलग से मिलता है। उसे अपने कर्मचारी रखने के लिए 60 हजार रुपये प्रति माह तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय में चाय, पानी, बिजली के खर्चे के लिए 70 हजार रुपये मासिक मिलते हैं। सांसद को दिल्ली में किराया मुक्त घर मिलता है, यदि नहीं तो रहने के लिए 2 लाख रुपये मासिक मिलते हैं। उनके स्वयं के लिए और उनके परिवार के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा के अलावा स्वयं और परिवार के लिए प्रति वर्ष देश के अंदर की 34 वायुयान व रेल यात्रा की सुविधा भी नि:शुल्क मिलती है। यदि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें उसके लिए भी प्रथम श्रेणी का किराया मिलता है और यदि वाहन का प्रयोग करते हैं तो ईंधन भत्ता मिलता है। प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 1.5 लाख कॉल, तथा तेज़ इंटरनेट की सेवा का खर्च सरकार उठाती है। प्रति वर्ष 50,000 यूनिट नि:शुल्क बिजली तथा 4,000 लीटर पानी भी नि:शुल्क मिलता है। यदि सांसद पांच वर्ष तक सेवा करते हैं, तो उन्हें आजीवन 25,000 मासिक पेंशन तथा सांसद बनने के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, आजीवन 2,000 अतिरिक्त पेंशन मिलते है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के सांसदों और विधायकों पर प्रति वर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च होते हैं। ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन और भत्तों की बात हुई। इनके आवास, रहने, खाने, यात्रा भत्ता, इलाज, विदेशी सैर सपाटा आदि का का खर्च भी लगभग इतना ही बन जाता है। बताते हैं कि इस तरह विधायकों और सांसदों पर राजकोष से लगभग 30 अरब रूपये खर्च होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों के वेतन को भी जोड़ लें तो एक अन्य अनुमान के अनुसार कुल मिला कर हर वर्ष निर्वाचित नेताओं पर कम से कम 100 अरब रुपया खर्च होता होगा। यदि यह अनुमान गलत हैं तो इस पर कोई अकादमिक आर्थिक अध्ययन करा लिया जाए। यह तब हो सकता है जब यहां के नागरिक जागरूक हो जाएं। मगर उसके लिए शिक्षण कहां है? वर्तमान में अलग-अलग विचारधाराओं की जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं उनके एजेंडे में जन शिक्षण का काम हाशिये पर भी नहीं है। नेताओं की डिजिटल मीडिया पर टिप्पणियों को ही सभी ने जन शिक्षण मान लिया है। ऐसे खर्चों के खिलाफ आम जन में उद्वेलन है मगर समाचार माध्यमों में उसकी अभिव्यक्ति नज़र नहीं आती। जन भावनाओं को कोई नोटिस ही नहीं करता।

एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के सांसदों और विधायकों पर प्रति वर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च होते हैं। ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन और भत्तों की बात हुई। इनके आवास, रहने, खाने, यात्रा भत्ता, इलाज, विदेशी सैर सपाटा आदि का का खर्च भी लगभग इतना ही बन जाता है। बताते हैं कि इस तरह विधायकों और सांसदों पर राजकोष से लगभग 30 अरब रूपये खर्च होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों के वेतन को भी जोड़ लें तो एक अन्य अनुमान के अनुसार कुल मिला कर हर वर्ष निर्वाचित नेताओं पर कम से कम 100 अरब रुपया खर्च होता होगा।

देश के गणतांत्रिक संविधान में बहुमत से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाने की व्यवस्था है। निर्वाचित प्रतिनिधि सदनों में बैठ कर कानून बनाते हैं और शासन पर निगाह रखते हैं ताकि शासन संविधान सम्मत काम करे तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप चले। उच्च संवैधानिक सदनों पर जब राजकोष का इतना अधिक पैसा खर्च किया जाता हो तब इन सदनों के सदस्यों के काम का ऑडिट कौन करे? कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में यह ऑडिट या परीक्षा मतदाता प्रत्येक पांच साल में एक बार करता है जब वह वोट देने मतदान केंद्र पर जाता है। क्या सच में मतदाता अपने प्रतिनिधि के काम का ऑडिट करता है या वह प्रचार की राजनीति की आंधी में बह कर वोटिंग मशीन का बटन दबा कर फिर से जीवन की तकलीफें झेलने को लौट आता है? इस सवाल का जवाब सभी को पता है। यह भी सभी जानते हैं कि चुनावों में यह मुद्दा कभी नहीं बनता कि निर्वाचित प्रतिनिधि ने अपना दायित्व सदन में या बाहर ठीक से निबाहा या नहीं। मतदाता अपने प्रतिनिधि से यह भी नहीं पूछते कि हमने आपको सदन में हमारी बात रखने के लिए भेजा था, वहां आपने शांतिपूर्वक गंभीरता से चर्चा में भाग लेने के बजाय हुड़दंग क्यों किया? क्यों सदन में अपनी बात तर्कपूर्ण तरीके से रखने की बजाय आप सदन से उठ कर बार-बार बाहर चले गये। उच्च अध्ययन के हमारे संस्थान जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता का हिसाब लगाने के लिए अध्ययन करवाते हैं, वे कभी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की उत्पादकता का अध्ययन नहीं कराते। कोई पूछ सकता है कि सांसदों और विधायकों की उत्पादकता कैसे मापें? उसका पैमाना क्या हो? खेत की उत्पादकता, मजदूर की उत्पादकता, बिजली उत्पादन संयंत्र की उत्पादकता मापने के पैमाने तो हैं लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों की उत्पादकता के पैमाने क्या हों उसके लिए अर्थशास्त्रियों या समाजशास्त्रियों ने कभी नहीं सोचा और न ही इस तरह का कोई अध्यायन हाथ में लिया। इन संवैधानिक संस्थानों पर जितना खर्च किया जा रहा है वह कितना अनुकूल है। सांसद या विधायक जितना पैसा और सुविधाएं पाते हैं उसके अनुरूप क्या वे काम करते हैं, या अपने या अपनों के हितों में व्यस्त रहते हैं? सांसदों और विधायकों की प्रति व्यक्ति सकल आय और देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय के बीच कितना बड़ा अंतर है इस पर कोई अर्थशास्त्रियों ने पेपर नहीं लिख कर यह नहीं बताता कि जितना पैसा उन पर खर्च किया जाता है उन पैसों की एवज में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संवैधानिक संस्थाएं वापस क्या देती है? सदनों में बड़ी-बड़ी डींगों, पूरे न होने वाले आश्वासनों, एक-दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास, बहस के नाम पर झगड़ों के अलावा वहां क्या होता है? संविधान सभा में जब सदस्यों के लिए वेतन भत्ते तय करने का मुद्दा आया था और उसके लिए संविधान में यह प्रावधान करने का प्रस्ताव आया कि सांसदों के वेतन का समय-समय पर निर्धारण करने का काम संसद में कानून के जरिए होगा। इसका अर्थ था अपने वेतन का निर्धारण खुद सांसद ही करेंगे। तब इसे वांछनीय नहीं बताने वाले सदस्य भी संविधान सभा में थे। हालांकि अंतत: सभी इस प्रारूप से सहमत हो गये। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की थी कि अपने को लोकसेवक कहने वाले किसी दिन सीमाहीन सुविधाएं पाने के लिए इतने लालायित रहेंगे। इसलिए यह समय आ गया है कि इन प्रतिनिधियों पर किये जाने वाले खर्च की समीक्षा की जाए। यह भी कि निर्वाचित प्रतिनिधि इन सदनों में बैठ कर अपना संवैधानिक तथा मतदाता के भरोसे को निभाने का दायित्व कितना निभाते हैं उसका ब्यौरा मतदाताओं को सार्वजनिक रूप से दिया जाए लिया जाए। उनके वेतन भत्ते बढ़ाने का फैसला खुद उनसे लेकर जनमत-संग्रह से लिया जाए। ऐसे तर्क देने वाले भी हैं कि ऐसे सवाल उठाना संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना होगा। संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाना उन्हें कमजोर करना नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को ठीक करना होता है जो इतने बरसों बाद भी राज्य व्यवस्था को सामंती व्यवहार से बाहर नहीं होने दे रही है जिसमें सांसद व विधायक खुद को सामंत और नागरिकों को अपनी प्रजा मानने लगे हैं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

अंतर की ऊर्जा के संधान से जुड़ा है "सूर्य नमस्कार"

डॉ. अरुणा व्यास

सूर्य सप्तमी पर इस बार देशभर में सूर्य नमस्कार से जुड़े आयोजन हुए। यह कोई नई बात नहीं है, सूर्य सप्तमी सूर्य के अवतरण का, अभिनंदन का ही पर्व है। इस दिन ही क्यों, सूर्य को तो हम प्रतिदिन ही नमस्कार करते हैं। पर इसके बहाने भारतीय योग की महान परम्परा के अंतर्गत इससे जुड़े सामुहिक आयोजन महत्वपूर्ण हैं। नई पीढ़ी को स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन के लिए प्रेरित करने से जुड़ा सूर्य नमस्कार योग का महत्वपूर्ण आसन है।

सूर्य सप्तमी को रथ सप्तमी भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं में आता है कि ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर ही सूर्य का जन्म हुआ। इसी आलोक में हमारे यहां सूर्य नमस्कार को योग की महान परम्परा से जोड़ा गया। योग की इस परम्परा में भगवान सूर्य का अभिनंदन करते हुए इसके तहत मनुष्य द्वारा अपने भीतर की ऊर्जा का संधान करने पर जोर दिया गया है। इसमें बारह योग मुद्राएँ या आसन शामिल हैं जो सूर्य के चक्रों को दर्शाते हैं। सूर्य नमस्कार के साथ सूर्य नमस्कार मंत्रों का जाप भी होता है। प्रमुख मंत्र है–ओम सूर्याय नम:। अर्थात् हे सूर्य, हम आपको नमस्कार करते हैं।

धरती पर जीवन के संरक्षण के प्रति आपके प्रति कृतज्ञता है। यह जो भाव है, इसी से आनंद, सकारात्मकता और खुशी की अनुभूति होती है। कृतज्ञता जीवन का आंनद पर्व है। जो व्यक्ति जितना कृतज्ञ होगा, उतना ही सदा उल्लसित भी अनुभूत करता है। हम प्रकृति से कितना कुछ निरंतर पाते हैं, यदि उसके प्रति उतना ही देने का भाव रहे तो जीवन में कितनी ही व्यस्तता रहे, तन और मन स्वस्थ रह सकता है। सूर्य नमस्कार इसी दृष्टि से सूर्य के प्रति कृतज्ञता के बहाने नकारात्मक भावों से हमें दूर करने वाला योगासन है। मैंने निंरतर इसे किया है और यह पाया है कि इससे हमारे आस-पास सकारात्मक तरंगों का प्रवाह होता है।

असीमित ऊर्जा इससे मिलती है जिससे पूरा दिन खुशनुमा हो उठता है। कितना ही कार्य करें, उसे करने का बोझ मन में नहीं रहता। भारतीय योग परम्परा की शुरुआत सूर्य नमस्कार आसन से ही होती है। यह शरीर को वार्मअप यानी गर्म करता है और आगे के आसनों के लिए तैयार करता है। पारंपरिक रूपों में, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। सुविधानुसार यह कम और ज्यादा भी हो सकते हैं।

सूर्य नमस्कार के बारे में जब भी मन में विचार आता है, मुझे हनुमान जी की याद आती है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान को सागर पार कर लंका पहुंचने के लिए जामवंत उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। पर जामवंत शक्ति का स्मरण तो करा देते हैं परन्तु विशाल समुद्र में छलांग लगाना कोई आसान काम थोड़े ही था। हनुमान इस समय में सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य से ऊर्जा के लिए प्रार्थना करते हैं। हनुमान द्वारा सागर पार करने के लिए छलांग लगाने की मुद्रा क्या है? सूर्य नमस्कार का आसन ही तो है। एक बार में नहीं, अभ्यास करने पर अतुलित बल इस सूर्य आसन से मिल जाता है। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हनुमान के अतुलित बलधामा बनने में सूर्य नमस्कार की क्रिया जुड़ी हुई है।

महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार सूर्य नमस्कार से केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं होता है। इससे ध्यान के ज्ञान में हम प्रवेश करते हैं। सूर्य नमस्कार से जुड़ने का अर्थ है, हमारे भीतर ध्यान का अभ्यास बढ़ना। सूर्य नमस्कार का अर्थ है, शरीर के भीतर निवास करने वाली परन्तु सुप्त रहने वाली ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। शरीर में असीमित ऊर्जा का वास होता है परन्तु नकारात्मक सोच और फालतू विचारों के कारण यह नष्ट होती रहती है। सूर्य नमस्कार इस ऊर्जा को संचित कर हमें तेज प्रदान करता है। इसलिए यह आसन महत्वपूर्ण है।

यह हमारी समग्र जीवन-दृष्टि में परिवर्तन का हेतु है। सकारात्मकता के भावों के साथ जीवन की उत्सवधर्मिता से जुड़ा है, सूर्य नमस्कार। परम तत्व से साक्षात्कार की यह वह विधा है जो व्यक्ति को अंतर का उजास प्रदान करती है। इसीलिए योग की परम्परा का शुभारंभ सूर्य नमस्कार से ही होता है।

–डॉ. अरुणा व्यास,
स्वतंत्र टिप्पणीकार

क्या इस बजट सत्र में राजस्थानी भाषा को राजभाषा का आधिकारिक दर्जा मिलेगा

राजेन्द्र जोशी

राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा न मिलने के बाद भी उसका अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति नहीं रहेगी। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 के बाद हर साल दुनिया से करीब 9 भाषाओं का अस्तित्व खत्म हो रहा हैं। भाषा का खत्म होना मतलब कि उसकी संस्कृति, सोच और परिवेशबोध भी मर जाता हैं।

अगर हम इसका अर्थ देखें तो भाषाओं को इस तरह मरते जाना उसकी संस्कृतियों के स्वरूप का सिकुड़ना होता हैं। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में एक हजार ईस्वीं तक 9000 से कुछ ज्यादा भाषाएं अस्तित्व में रही थी, जिनकी संख्या घटते घटते वर्तमान में 7000 के लगभग सिमट गई हैं। डर इस बात का है कि इस तरह भाषाएँ सिमटती गई तो 21वीं सदी के अंत तक दुनिया भर की लगभग 3000 भाषाओं का अस्तित्व और समाप्त हो जाएगा।

यह बात करने का मतलब यह नहीं है कि राजस्थानी भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राजस्थानी भाषा इतनी समृद्ध भाषा को सामाजिक स्तर पर मान्यता मिली हुई है। संवैधानिक मान्यता में देर होने से इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए पहली बार 1936 में मांग उठी थी। हां यह बात जरूर है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और ना ही राजस्थान में राजभाषा का दर्जा है। पिछले दिनों मैं आबू में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के 65वें अधिवेशन में शिरकत करने गया था। जब हम माउंट आबू की नक्की झील में नौकायन कर रहे थे तो मेरे साथ तमिलनाडु के दो युवा प्रोफेसर भी थें। जो जीवनपर्यंत शिक्षा विभाग में कार्यरत है।

लखनऊ के शिक्षाविद डॉ. मदन सिंह भी साथ थे। वह दोनों युवा साथी अंग्रेजी बोले चले जा रहे थे। और हम हिंदी में बोल रहे थे। बातचीत में जब हमने उनसे कहा कि आप हिंदी क्यों नहीं बोल रहे । संकोच के साथ एक साथी ने कहा कि हम हिंदी नहीं बोल सकते। क्योंकि तमिलनाडु में भाषा राजनैतिक मुद्दा है। तमिलनाडु में स्थानीय भाषा के इतर अन्य भाषा बोलने पर पाबंदी है। उन्होंने बताया कि वर्षों से भाषा राजनैतिक मुद्दा बना हुआ है। अपनी भाषा के प्रति इतना दुलार देखकर मेरा मन खुद से सवाल करने लगा कि हमारे राजनेताओं में भाषा के प्रति इतना दुलार और प्रतिबद्धता क्यों नहीं हैं।

राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए यह राजनैतिक मुद्दा कभी भी क्यों नहीं बना। राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए सदैव साहित्यकार ही अपने स्तर पर आंदोलन करते रहे। लेकिन जब मैं पिछले अखबार देख रहा था तो मुझे ध्यान आया कि हमारे राजनेता जब शासन में नहीं होते हैं तब राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की बात करते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ। वर्तमान उपमुख्यमंत्री एवं 2023 की राजसमंद सांसद आदरणीया दीया कुमारी जी ने दैनिक समाचार पत्र में 24 जनवरी 2023 को खुद एक आलेख लिखा था–"बजट सत्र में राजस्थानी भाषा को मिले आधिकारिक दर्जा"। शीर्षक से उन्होंने मांग की थी कि राजस्थान के अगले बजट सत्र में राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए सरकार को प्रस्ताव पेश करना चाहिए। तब मुझे लगा कि अब अगले महीने राजस्थान में बजट पेश होने वाला है और यह बजट खुद दीया कुमारी पेश करेगी।

जो मांग उन्होंने उठाई थी, अब यह बजट पेश करने की जिम्मेदारी खुद उनकी है, तो क्या दीया कुमारी राजस्थान में राजस्थानी को राजभाषा बनाने के लिए बजट सत्र में प्रस्ताव रखेगी।

राजस्थानी भाषा राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान भी है, आज के दौर में राजस्थानी को किनारे नहीं किया जा सकता। राजस्थान विशेष की संस्कृति गायब नहीं हो सकती। राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का बोलबाला देश में और देश के बाहर भी अस्तित्व में हैं। राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी भाषा की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी चुनावी मीटिंग में राजस्थान आते हैं तो शुरूआत राजस्थानी भाषा से करते हैं।

हालांकि राजस्थानी के अस्तित्व पर संकट नहीं है। राजस्थानी का अपना शब्दकोष, अपनी व्याकरण और समृद्ध साहित्य मौजूद हैं। राजस्थानी देश की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक हैं। राजस्थानी भाषा को राज की मान्यता नहीं है। जिसे अब मान्यता दी जा सकती है, समय अनुकूल कहा जा सकता है।

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद-साहित्यकार

शुभांकर के निर्देशन में फ्रांस में चल रहा देश की कलात्मक विरासत का जश्न

- **कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध कलात्मक विरासत का जश्न मनाना है**
- **भारत के शुभांकर प्रकाश कला क्षेत्र में वैश्विक स्तर के प्रतिष्ठित आर्ट संस्थान के निदेशक ऑपरेशन हैं**
- **प्रदर्शनी में पारंपरिक पेंटिंग, समकालीन कृतियां और मिश्रित मीडिया कृतियां सहित विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रदर्शित होंगी**

लखनऊ/नई दिल्ली। शुभांकर प्रकाश भारती (संचालन निदेशक) के निर्देशन में फ्रांस में देश की कलात्मक विरासत का जश्न चल रहा है। एक फ़रवरी से आगामी 22 मार्च तक चलने वाली यह प्रदर्शनी पेरिस में प्रतिष्ठित 193 आर्ट गैलरी में आयोजित की जा रही है। फ्रांस स्थित दुनियां के मशहूर शहर पेरिस में भारतीय कलाकारों की कृतियों को प्रदर्शित करने वाली एक कला प्रदर्शनी आयोजित हो रही है।

प्रदर्शनी के लिए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी शुभांकर प्रकाश भारती (संचालन निदेशक) की अगुवाई वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध कलात्मक विरासत का जश्न मनाना है, जिसमें देश की जीवंत संस्कृति और इतिहास को दर्शाने वाली शानदार कलाकृतियों का संग्रह एक साथ लाया जाएगा। प्रदर्शनी में पारंपरिक पेंटिंग, समकालीन कृतियां और मिश्रित मीडिया कृतियां सहित विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रदर्शित की जाएंगी। आगंतुकों को भारतीय कलाकारों की अनूठी शैलियों और तकनीकों को जानने, उनकी रचनात्मक प्रक्रियाओं और उनकी उत्कृष्ट कृतियों के पीछे की कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाने वाली 193 आर्ट गैलरी इस प्रदर्शनी के लिए एकदम सही जगह है।

शुभांकर प्रकाश भारती की प्रदर्शनी फ्रांस के पेरिस में प्रतिष्ठित 193 आर्ट गैलरी आयोजित की जा रही है।

शुभांकर प्रकाश ने बताया कि पेरिस के केंद्र में स्थित, गैलरी कला प्रेमियों और संग्रहकर्ताओं को भारतीय कला की सुंदरता और गहराई की सराहना करने के लिए एक परिष्कृत और स्वागत योग्य स्थान प्रदान करती है।

विदेश में भारत की अगुवाई कर रहे टॉपर शुभांकर प्रकाश :- जेएनवी नवोदय विद्यालय सुल्तानपुर से शुभांकर ने बारहवीं कक्षा तक टॉप किया था। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में तीसरी रैंक हासिल की थी। इसी क्रम में शुभंकर ने प्रवेश के लिए शांति निकेतन चुना। फिर वहां से अपनी प्रतिभा के दम पर स्कॉलरशिप पर फ्रांस चले गए। जहां आगे की पढ़ाई की और अब वहां की प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन है। शुभांकर के भाई रविंद्र प्रकाश बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के भारतीय साहित्य के प्रसारक और व्यवसायी राजेश कुमार के एक बेटी और दो बेटों में से एक शुभांकर प्रकाश भारती हैं।

राशिफल बुधवार 5 फरवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2081, भरणी नक्षत्र रात्रि 8:33 तक, शुक्ल योग रात्रि 9:19 तक, विष्टि करण दिन 1:33 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 2:16 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-मकर, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 8:33 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 8:33 से आरम्भ होगा। आज ज्वालामुखी योग रात्रि 8:33 से रात्रि 12:36 तक है। आज भद्रा दिन 1:33 तक रहेगी। आज भीमाष्टमी, दुर्गाष्टमी, बुधाष्टमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:57 तक, शुभ 11:19 से 12:41 तक, चर 3:14 से 4:46 तक, लाभ 4:46 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:07

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा।

सिंह

नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

धनु

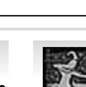

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष

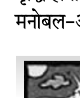

आज मित्रों/रिश्तेदारों से अनावश्यक वाद-विवाद हो सकते हैं। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी।

कन्या

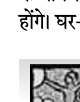

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में दुर्घटना का भय है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मकर

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन

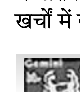

आर्थिक वित्तिय स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आज धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला

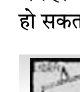

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क

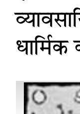

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

वृश्चिक

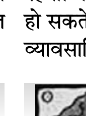

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

मीन

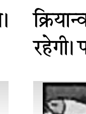

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।